प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो, जयपुर वर्ष 2022

प्र0इ0रि0 सं. ....71/22.......... दिनांक..........4/3/2022..........

2. (I) * अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धारा 7

(II) * अधिनियम ....भारतीय दण्ड संहिता धारायें ....120 बी.............

(III) * अधिनियम .... धारायें ....

(IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....87..........समय . 5:30PM.

(ब) अपराध घटने का दिन गुरूवार दिनांक 03.03.2022 समय 01:19 पीएम

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 22.02.2022 समय 11:50 ए.एम

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – लिखित

5. घटनास्थल :– कार्यालय तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:– उत्तर दिशा, लगभग 13 किमी.

(ब) कार्यालय तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर

....बीट संख्या.........................जयरामदेही सं................

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम श्री अशोक कराडिया

(ब) पिता/पति का नाम श्री सीताराम कराडिया

(स) जन्म तिथी/वर्ष करीब ....44 साल..

(द) राष्ट्रीयता . भारतीय...

(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि .

जारी होने की जगह ....

(र) व्यवसाय – अध्यापक

(ल) पता – निवासी– मु. पो. खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : –

1. श्री सुभाष सिंह सेपट पुत्र श्री सूरजमल, निवासी– ग्राम मलिकपुरा, जयपुर हाल तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर
2. श्री चन्द्रशेखर प्रसाद पुत्र श्री हनुमान प्रसाद, जाति बैरवा, उम्र 46 साल, निवासी–प्लॉट नम्बर 49, बालाजी विहार, ए रामपुरा रोड, सांगानेर, जयपुर, हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–....कोई नहीं.

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).......

10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य ...... 27,000 रूपये ....

11. पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):–

दिनांक 22.02.2022 को परिवादी श्री अशोक कराडिया पुत्र श्री सीताराम कराडिया, मु. पो. खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर ने एक प्रार्थना पत्र ब्यूरो में उपस्थित होकर इस आशय का पेश किया कि –''सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय S.U-1I ACB जयपुर विषयः– रिश्वत खोरो के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि तहसीलदार आमेर जिला जयपुर स्थित कार्यालय में मैरे द्वारा मेरी कृषि भूमि जो खोरा बीसल तह आमेर जयपुर में स्थित है के लिए अतिक्रमण हढवाने हेतु 183–B का प्रार्थन पत्र प्रस्तुत कर परिवाद दायर किया। जिसका निर्णय विगत छः माह से नही किया गया। इस सम्बंध मे मैने तहसील आमेर कार्यालय में सम्बंधित बाबू चन्द्रशेखर से सम्पर्क किया तो उसने निर्णय शिघ्र करवाने के पेटे 50,000/ रूपये की मांग की जिसमें 20,000 रूपये खुद के व शेष राशि उच्च अधिकारी तहसीलदार को देने हेतु मांग की। इस पर मैने उक्त राशि कम करने का निवेदन किया तो वह उक्त राशि कम नही की, उसने मुझे तहसीलदार से दिनांक 17.02.2022 को सुबह फोन करके कहा कि आज आप के केस का निर्णय करवा दुंगा। आज आप office (तहसील कार्यालय) आ जाओ दोपहर बाद मै तहसील कार्यालय गया तो उसने मुझे दो घण्टे इन्तजार करवाने बाद तहसीलदार आमेर द्वारा मेरे पक्ष में किये गये निर्णय की हस्ताक्षरीत कॉपी दिखाई तथा कहा कि आप रूपयो का इन्तजाम करो मै इसको Process में ले लूंगा। मेरा बाबू श्री चन्द्रशेखर एवं अन्य किसी से कोई रूपयो का लेन देन एवं आपसी रंजीश नही है। मै रिश्वत लेने वालो को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं। कृपया कानूनी कार्यवाही करे। दिनांक 22/02/2022 एस.डी अशोक कराडिया प्रार्थी अशोक कराडिया S/0 श्री सीताराम कराडिया, मु. पो. खोराबीसल, तह आमेर, जिला जयपुर Mob- 8561861786''। परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखित एवं प्रार्थना पत्र के सभी तथ्य सही होना बताया। मजीद दरियाफ्त पर परिवादी ने बताया कि तहसील आमेर में पिछले कई महिनो से तहसीलदार का पद रिक्त चल रहा है एवं तहसीलदार का चार्ज श्री सुभाष सिंह सेपट, नायब तहसीलदार, तहसील आमेर के पास है। श्री सुभाष सिंह सेपट, नायब तहसीलदार अब तहसीलदार के पद पर पदोन्नत हो चुके है एवं उनका तबादला तहसीलदार निर्वाचन सवाईमाधोपुर के पद पर हो रखा है परन्तु अभी रिलीव नही हुये है। लिखित प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत लेन देन का पाया जाने पर रिश्वत मांग सत्यापन का निर्णय लिया गया। परिवादी ने बताया कि अभी मै कुछ दिन पारिवारिक कार्यो में व्यस्त हुं। आईन्दा आपके कार्यालय में उपस्थित होकर अग्रिम कार्यवाही करवाउंगा।

दिनांक 28.02.2022 को परिवादी श्री अशोक कराडिया कार्यालय उपस्थित आये तथा बताया कि मै इतने दिन पारिवारिक कार्यो में व्यस्त था इसलिये आपके कार्यालय में उपस्थित नही हो सका। आज मै तहसील कार्यालय, आमेर जाकर मेरे काम के सम्बंध में सम्बंधितो से बातचीत करूंगा। जिस पर श्री रूपकिशोर कानि. 74 को मन पुलिस निरीक्षक ने अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री अशोक कराडिया से परिचय करवाया जाकर कार्यालय की आलमारी से सोनी कम्पनी के दो विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर निकलवाकर दोनो में San Disk 16 GBके माईक्रो एसडी कार्ड डालकर, दोनों डिजिटल वाईस रिकॉर्डरो एवं माईक्रो एसडी कार्डो को खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू व बंद करने की प्रक्रिया समझाई गई।श्री रूपकिशोर कानि. को दोनो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर हिदायत दी गई किवह रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के साथ जाये एवं परिवादी द्वारा संदिग्धो से बातचीत करने से पूर्व दोनो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू करके परिवादी को सुपुर्द करे एवं अपना छुपाव करते